<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्<u>ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 609 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक:-29 / 09 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504001892015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. दिनेश पिता बलीराम साहू, उम्र 25 वर्ष
- 2. उमेश पिता बलीराम साहू, उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ससुंद्रा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 09.02.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.09. 2015 को समय रात्रि 09:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ससुंद्रा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी लीलाबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी लीलाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी लीलाबाई को हाथ मुक्के से मापरीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की तथा फरियादी लीलाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2015 को रात्रि करीब 9 बजे अभियुक्तगण फरियादी के घर के सामने आये चैक पोस्ट बैरियर की बात पर से उसे एवं उसके पित को गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ मुक्के से गले एवं सीने पर मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट लिखाने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 516/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र प्रेषित

किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी लीलाबाई को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

- 5 दिनेश खातरकर (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 6 साक्षी दिनेश खातरकर (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन

किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—िकन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी लीलाबाई (अ.सा. —1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसके पित को धमकी दी थी कि पान ठेला हटा ले नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी लीलाबाई (अ.सा.—1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

- 8 लीलाबाई (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण उसके घर पर आकर उसके पित के साथ मारपीट की। जब उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उसका गला दबा दिया, लात घुसों से मारा और नाखून से नोच दिया जिससे उसके गले और गाल पर चोट आयी थी। दिनेश खातरकर (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण घर के अंदर आये, हाथ मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। उसकी पत्नी का गला दबा दिये थे।
- 9 डॉ. अशोक कुमार (अ.सा.—3) ने दिनांक 13.09.2015 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत लीला का परीक्षण किये जाने पर आहत गले के मध्य भाग में 2.5 सेमी लंबाई का लिलमा लिए खरोच का निशान तथा नाक के नीचले भाग पर 1.5 गुणा 0.5 सेमी. आकार की खरोच पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें बोथरी एवं कठोर वस्तु से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री—3 को प्रमाणित किया है।

- 10 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 24.09.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 516 / 15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री—2 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी लीलाबाई एवं साक्षी दिनेश के कथनों में भी परस्पर विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी आशाबाई (अ.सा. —5) एवं अशोक (अ.सा.—6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे फरियादी के घर के पास रहते हैं। उन्हें लड़ाई झगड़े की आवाज आयी थी लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक झगड़ा शांत हो चुका था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने घटना की जानकारी न होना बताया और अपने समक्ष लड़ाई झगड़ा न होना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को इतनी सहायता प्राप्त होती है कि घटना दिनांक को फरियादी और अभियुक्तगण के बीच विवाद हुआ था। क्योंकि साक्षीगण ने अपने कथनों में बताया है कि उन्हें झगड़े की आवाज आयी थी लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे थे तब झगड़ा शांत हो गया था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को आंशिक समर्थन प्राप्त होता है।
- तीलाबाई (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को रात्रि 09:00 बजे अभियुक्तगण घर पर आये और घर के अंदर घुस गये, उसके पित को मारने लगे, जब उसने बीच बचाव किया तो उसका गला दबा दिया, उसे लात घूसों से मारा और नाखून से नोच दिया। मारपीट से उसके गले और गाल में चोट आयी थी। उसने जिला अस्पताल बैतूल में ईलाज करवाया था और लिखित शिकायत थाना आमला में की थी। दिनेश खातरकर (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को रात्रि 09:00 बजे अभियुक्तगण घर के अंदर आ गये, हाथ मुक्कों से मारपीट की। पत्नी लीलाबाई आयी तो उसका गला दबा दिया। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया था।
- 14 लीलाबाई (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गये थे। घर के अंदर विवाद हुआ था। फिर साक्षी ने कहा कि आंगन में विवाद हुआ था। अभियुक्तगण से चाय की दुकान पर हमेशा विवाद होता रहता था। इस सुझाव को गलत बताया है कि पुरानी

रंजिश होने से उसने झूठी रिपोर्ट की है। दिनेश खातरकर (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि वह अपनी पत्नी के साथ रिपोर्ट करने के लिए नहीं गया था। दुकान पर से उसका और अभियुक्तगण का हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया था।

15 अभियोजन कथा अनुसार फरियादी लीलाबाई के द्वारा लिखित आवेदन में यह बताया गया है कि अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने आकर मारपीट की थी और उसने अपना ईलाज बैतूल में कराया था। फरियादी लीलाबाई ने अभियोजन कथा के अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये हैं। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। यद्यपि उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य स्थापित है परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है।

16 फरियादी लीलाबाई आहत होकर घटना की सर्वोत्तम साक्षी है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के कथनों पर साक्षी पूर्णतः अखंडित रही है। यद्यपि साक्षी ने न्यायालय में बढ़ाचढ़ाकर कथन किये हैं परंतु यह एक सामान्य मानवीय स्वरूप है कि कोई भी व्यक्ति घटना को बढ़ाचढ़ाकर ही व्यक्त करता है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है एवं साक्षी दिनेश (अ.सा. –2) के कथनों से भी साक्षी के कथनों को समर्थन प्राप्त होता है तथा साक्षी आशा (अ.सा. –5) और अशोक (अ.सा. –6) के कथनों से अभियोजन को आंशिक समर्थन प्राप्त हुआ है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी लीलाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी लीलाबाई को हाथ मुक्के से मापरीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।

17 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आकर फरियादी के साथ मारपीट किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी लीलाबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी लीलाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी लीलाबाई को हाथ मुक्के से मापरीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण दिनेश एवं उमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा दोनों अभियुक्तगण आपस में सगे भाई हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

22 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा दोनों अभियुक्तगण आपस में सगे भाई हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—500/— रूपये कुल 1,000/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 700/— रूपये फरियादी लीलाबाई पित दिनेश खातरकर, निवासी ससुंद्रा, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)